गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम

2026-27

मार्गदर्शिका



बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–यो0–239 / 2026 1875/ई0वि0 पटना, दिनांक– 06 अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना,
उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी / पूसा एवं पटना,
सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज / बेतिया / मोतीहारी / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गया / दरभंगा / भोजपुर / मुजफ्फरपुर / जमुई / सहरसा / पटना एवं बगहा।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–281 स्वी० / ई.का. दिनांक–30.07.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न की जा रही है। विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अनुवर्ती संलग्न मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथोक्त :

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1 / विकास–यो0–239 / 2026– 1875/ई0वि0 / पटना, दिनांक– 06 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / बेतिया / मोतीहारी / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गयाजी / दरभंगा / भोजपुर / जमुई / मुजफ्फरपुर / सहरसा / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026–1875/ईखवि /पटना, दिनांक– 06 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026–1875/ईखवि /पटना, दिनांक– 06 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	योजना का उद्देश्य	1
3.	अवयववार अनुदेश	1-9
3.1	कृषक प्रशिक्षण	1-3
3.2	एक्सपोजर विजिट –सह– प्रशिक्षण	3-5
3.3	गन्ना कृषि एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला	5-6
3.4	नुक्कड़ नाटक का आयोजन	6
3.5	गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन	6-7
3.6	उत्कृष्ट गन्ना उत्पादक किसान सम्मान	7
3.7	किसान मेला	7-8
3.8	सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) का उपयोग	8
3.9	तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन	9
4.	पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व	9-11
5.	प्रपत्र	12-13
6.	योजना का स्वीकृत्यादेश	14-21

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।

1. पृष्ठभूमि –

सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–2 "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु नये किसानों को जोड़ने हेतु विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ राज्य के गन्ना किसानों को नई तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनका क्षमता संवर्द्धन करना आवश्यक है। इस हेतु आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रसार एवं उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसानों, विभागीय/चीनी मिल के पदाधिकारियों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी एवं उनके व्यावहारिक उपयोग संबंधी नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना आवश्यक है। इससे राज्य में गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में भी वृद्धि होगा। अतएव उपरोक्त उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

2. योजना का उद्देश्य–

2.1 किसानों को गन्ना खेती के लाभ से अवगत कराना, नवीनतम तकनीक की जानकारी देना तथा विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करना,

2.2 आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रभावी प्रसार एवं उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसानों, विभागीय/चीनी मिल के पदाधिकारियों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी एवं उनके व्यावहारिक उपयोग संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना,

2.3 उत्कृष्ट गन्ना उत्पादक किसान सम्मान देकर राज्य के गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करना,

2.4 नुक्कड़ नाटक एवं गन्ना प्रचार वाहन के माध्यम से कृषकों एवं आमजन में गन्ना की खेती हेतु जागरूकता उत्पन्न कर गन्ना क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देना,

3. अवयवार अनुदेश –

3.1 कृषक प्रशिक्षण –

(i) चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर प्रत्येक प्रशिक्षण में 40–50 गन्ना कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण के आयोजन हेतु 15,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से राशि प्रावधानित है।

(iii) इस योजना के तहत कुल 650 कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अधिकतम 05 कृषक प्रशिक्षण का आयोजन एक साथ कराया जा सकता है।

(iv) कृषक प्रशिक्षण का आयोजन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा कराया जायेगा। इसमें संबंधित चीनी मिल का आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा।

(v) एक कृषक की गणना एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में की जाएगी, पुनरावृति मान्य नहीं होगी।

(vi) कृषक प्रशिक्षण के आयोजन हेतु स्थल (चीनी मिल परिसर/सामुदायिक भवन/पंचायत भवन/ई–किसान भवन/सरकारी विद्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थान) का चयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।

(vii) प्रशिक्षण स्थल पर बैनर/फलैक्स तथा विभागीय योजना संबंधी पोस्टर का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

(viii) कृषक प्रशिक्षण एकदिवसीय होगा। ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञनिकों, सेवानिवृत वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील गन्ना कृषक जिन्होनें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है उन्हें भी प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जायेगा। राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में भी किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(ix) कृषक प्रशिक्षण निम्न अनुसार संचालित किया जायेगा–

क्र0सं0	कार्यक्रम	विषय	अवधि	वक्ता
1	कृषक पंजीकरण	उपस्थिति संधारण एवं फोल्डर वितरण	15 मिनट	कार्यालय कर्मियों के द्वारा
2	कार्यक्रम परिचय	प्रशिक्षण का उद्देश्य	10 मिनट	विभागीय/ चीनी मिल के पदाधिकारी
3	तकनीकी सत्र–1	गन्ना खेती की नवीनतम तकनीक	60 मिनट	वैज्ञानिक/ प्रगतिशील कृषक
4	तकनीकी सत्र–2	विभागीय योजनाओं, गन्ना पंजीकरण, पोर्टल की समस्त जानकारी	60 मिनट	विभागीय/ चीनी मिल के पदाधिकारी
5	तकनीकी सत्र–3	एकीकृत रोग एवं कीट प्रबंधन तकनीक	60 मिनट	वैज्ञानिक/ प्रगतिशील कृषक
6	समापन सत्र	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz), शिकायत निवारण एवं समापन	35 मिनट	संबंधित वैज्ञानिक/ पदाधिकारी

(x) प्रत्येक प्रशिक्षण के समापन सत्र में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz) का आयोजन किया जायेगा, जिसमें तकनीकी सत्रों में बतायी गई जानकारी से संबंधित 10 प्रश्न प्रशिक्षाणार्थियों से किये जायेगें। जिस प्रशिक्षाणार्थी द्वारा सबसे अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार के रूप में गन्ना खेती से संबंधित कोई भी इनपुट दिया जायेगा तथा इसपर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण के आकस्मिकता मद से की जायेगी।

(xi) कृषक प्रशिक्षण का आयोजन **प्रपत्र–1** के रूप में संलग्न माहवार कैलेण्डर के अनुरूप कराया जायेगा।

(xii) प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों की उपस्थिति संलग्न **प्रपत्र–2** में संधारित किया जायेगा।

(xiii) कृषक प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाने जाने वाले सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा।

(xiv) 40 कृषक प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय का विवरण विभागीय पत्रांक–1713/ई.का. दिनांक–15.09.2026 के अनुरूप होगा।

(xv) प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना तथा इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

3.2 एक्सपोजर विजिट –सह– प्रशिक्षण –

(i) गन्ना से संबंधित नवीनतम अनुसंधान, उन्नत प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रगतिशील कृषक/वैज्ञानिकों/विभागीय एवं चीनी मिल पदाधिकारियों का प्रमुख गन्ना अनुसंधान संस्थानों/गन्ना से संबंधित राज्य के अन्दर के गन्ना से संबंधित प्रमुख केन्द्रों/स्थलों (चीनी मिल/प्रगतिशील कृषकों का खेत आदि) में एक्सपोजर विजिट –सह– प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

<u>प्रगतिशील कृषक का एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण–</u>

(ii) प्रमुख गन्ना अनुसंधान संस्थानों यथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ/उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर/ गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल/गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा इत्यादि तथा राज्य के अन्दर के गन्ना से संबंधित प्रमुख केन्द्रों/स्थलों (चीनी मिल/प्रगतिशील कृषकों का खेत आदि) में भेजा जायेगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण में भाग ले चुके लाभुकों को इस वर्ष इस अवयव का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा प्रगतिशील कृषकों के एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु सभी आवश्यक सूचना यथा– प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि एवं राशि के व्यय आदि उपर्युक्त गन्ना संस्थानों से प्राप्त किया जायेगा।

(v) एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु गन्ना किसानों का चयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिल के महाप्रबंधक एवं ईख पदाधिकारी के सहयोग से किया जायेगा।

(vi) कृषकों के 05 दिवसीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु एक बैच में न्यूनतम 20 कृषक होंगे एवं प्रति बैच (20 कृषक) पर व्यय की अधिकतम अनुमानित सीमा विभागीय पत्रांक–1713/ई.का. दिनांक–15.09.2026 के अनुरूप होगा।

(vii) राज्य के अन्दर के उन्नत केन्द्रों में कृषक का एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण एक/दो दिवसीय होगा। एक बैच में न्यूनतम 20 कृषक होंगे एवं अधिकतम दो प्रतिनिधि होंगे। इस हेतु प्रति कृषक/बैच व्यय की अधिकतम अनुमानित सीमा विभागीय पत्रांक–1713/ई.का. दिनांक–15.09.2026 के अनुरूप होगा।

(viii) प्रशिक्षण दल के सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रत्येक दल के साथ चीनी मिल क्षेत्र में दो पदाधिकारी/कर्मी (01 चीनी मिल द्वारा नामित एवं एक सहायक निदेशक ईख विकास द्वारा नामित) तथा गैर चीनी मिल क्षेत्र में एक पदाधिकारी/कर्मी (सहायक निदेशक ईख विकास द्वारा नामित) प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहेगें। पदाधिकारी/कर्मियों के यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान योजना मद की राशि से ही किया जायेगा।

(ix) एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को कृषक प्रशिक्षण में मास्टर ट्रैनर के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव एवं नवीनतम तकनीकों को साझा किया जायेगा।

<u>वैज्ञानिक/पदाधिकारियों का एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण–</u>

(x) वैज्ञानिकों, विभागीय एवं चीनी मिल पदाधिकारियों के एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु उप निदेशक, ईख विकास, पटना के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त को भेजा जायेगा एवं अनुमोदनोपरान्त सभी व्यवस्था अपने स्तर से किया जायेगा।

<u>सामान्य निदेश–</u>

(xi) वित्तीय आवंटन के अनुरूप सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा पाँच दिवसीय एवं एक/दो दिवसीय प्रशिक्षण–सह–भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

(xii) प्रत्येक एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराना तथा इसकी एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सूचना भी मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(xiii) एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु राशि का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा।

(xiv) संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा स्वीकृत/आवंटित राशि के अधीन एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण का आयोजन कराया जायेगा तथा राशि की निकासी कर संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

3.3 गन्ना कृषि एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला –

(i) गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास, उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार तथा अनुसंधान–आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना अनुसंधान संस्थानों/कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला के आयोजन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) जिला स्तर पर स्वीकृत कार्यशाला का आयोजन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अपने स्तर से चयनित स्थल पर कराया जायेगा। प्रत्येक जिलास्तरीय कार्यशाला के आयोजन हेतु 2.50 लाख रू0 की राशि कर्णांकित है। जिलास्तरीय कार्यशाला आयोजन हेतु अनुमानित व्यय का विवरण विभागीय पत्रांक–1713/ई.का. दिनांक–15.09.2026 के अनुरूप होगा।

(iii) जिलास्तरीय कार्यशाला एकदिवसीय होगा। प्रत्येक जिलास्तरीय कार्यशाला में न्यूनतम 100 (सौ) किसानों के द्वारा भाग लिया जायेगा तथा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञनिकों के द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में भी किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv) जिलास्तरीय कार्यशाला हेतु उपयोग में लाये जाने वाली सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा।

(v) जिलास्तरीय कार्यशाला में स्टॉल के माध्यम से यंत्रिकरण, इनपुट, नवीनतम तकनीकों का प्रत्यक्षण, गन्ना नर्सरी उत्पादक/गुड़ उद्यमी इत्यादि का प्रदर्शनी किया जायेगा।

(vi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कार्यशाला के लिए मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम तैयार कर मुख्यालय को भी प्रेषित किया जाएगा।

(vii) मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत कार्यशाला के आयोजन हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी होगें।

(viii) मुख्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला हेतु नोडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन गन्ना कृषि एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला के आयोजन हेतु रूपरेखा/कार्य योजना पर ईखायुक्त/विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन चयनित स्थल पर कराया जायेगा।

(ix) नोडल पदाधिकारी को कार्यशाला के आयोजन संबंधी सभी तैयारियों में संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं संबंधित सहायक निदेशक (शष्य) के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(x) कार्यशाला हेतु कर्णांकित राशि के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा तथा संबंधित एजेन्सी/प्रतिष्ठान को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

3.4 नुक्कड़ नाटक का आयोजन –

(i) गन्ना क्षेत्र के विस्तार एवं किसानों में जागरूकता हेतु स्थानीय भाषा एवं सांस्कृतिक माध्यमों से नुक्कड़ नाटकों के आयोजन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) नुक्कड़ नाटक का आयोजन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कराया जायेगा। इस कार्य हेतु मुख्यालय द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सूचीबद्ध एजेन्सी को चयनित कर संसूचित किया जायेगा, जिस आधार पर उनके माध्यम से निर्धारित दर के अधीन सेवा ली जाएगी।

(iii) नुक्कड़ नाटक का आयोजन ग्राम/पंचायत स्तर पर किया जायेगा। नुक्कड़ नाटक के आयोजन हेतु स्थल का चयन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिल/ईख पदाधिकारी के सहयोग से किया जा सकेगा। प्रत्येक नुक्कड़ नाटक में 06 सदस्यों की टोली द्वारा नाटक को प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) नुक्कड़ नाटक हेतु कर्णांकित राशि के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा तथा चयनित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

3.5 गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन –

(i) राज्य के गन्ना कृषकों के मध्य जागरूकता बढ़ाने, विभागीय योजनाओं तथा गन्ना खेती की उन्नत तकनीकों के प्रभावी प्रसार के उद्देश्य से LED युक्त "गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन" के संचालन हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) प्रचार–प्रसार वाहन का संचालन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कराया जायेगा। इस कार्य हेतु गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा सूचीबद्ध एजेन्सी एवं दर पर सेवा ली जाएगी। सूचीबद्ध एजेन्सी को कार्यालयवार वाहन परिचालन हेतु कार्यादेश मुख्यालय स्तर पर दिया जायेगा तथा उस आधार पर कार्योपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) प्रचार वाहन का परिचालन मुख्यालय द्वारा निर्धारित अवधि एवं व्यवस्था/कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न गन्ना क्षेत्रों में किया जाएगा।

(iv) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रत्येक प्रचार वाहन के लिए निर्धारित अवधि के आलोक में दिवसवार रूट चार्ट तैयार कर संबंधित एजेन्सी एवं मुख्यालय को संचालन से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) प्रचार वाहन में विभाग एवं चीनी मिल के कर्मी उपस्थित रहेगें जो प्रचार स्थल पर किसानों को प्रकाशन सामग्री का वितरण करेगें तथा उनसे वार्ता कर गन्ना खेती के लाभ की जानकारी देते हुए उन्हें इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करेगें।

(vi) प्रचार वाहन हेतु संबंधित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

3.6 उत्कृष्ट गन्ना उत्पादक किसान सम्मान – इसके कार्यान्वयन हेतु अलग से अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

3.7 किसान मेला –

(i) विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं/कार्यकलापों, जागरूकता, नवीनतम तकनीकों के प्रत्यक्षण /प्रदर्शनी आदि के माध्यम से गन्ना के खेती को बढ़ावा देने के साथ इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो को व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के उद्देश्य से बिहार दिवस/सोनपुर मेला /मेला/झांकी में सहभागिता की जायेगी।

(ii) सोनपुर मेला–2026 में गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित स्टॉल/प्रदर्शनी आदि का आयोजन सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए कराया जायेगा। इस कार्य में सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(iii) कृषि एग्रो मेला/अन्य विभागों द्वारा आयोजित मेला में गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित स्टॉल/प्रदर्शनी आदि का आयोजन सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना के द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए कराया जायेगा।

(iv) मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत राशि से बिहार दिवस–2027/झांकी का आयोजन कराया जायेगा।

(v) बिहार दिवस–2027/झांकी के आयोजन हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी होगें।

(vi) नोडल पदाधिकारी के द्वारा बिहार दिवस–2027/झांकी के आयोजन हेतु रूपरेखा/कार्य योजना पर ईखायुक्त/विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(vii) संबंधित पदाधिकारी के द्वारा बिहार दिवस–2027/झांकी के आयोजन हेतु बिहार वित्तीय नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजेन्सी/सेवा के चयन हेतु कार्य सम्पादित किया जाएगा।

(viii) नोडल पदाधिकारी को बिहार दिवस–2027/झांकी के आयोजन संबंधी सभी तैयारियों में संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं संबंधित सहायक निदेशक (शष्य) के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(ix) संबंधित एजेन्सी/प्रतिष्ठान को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

3.8 सूचना प्रौद्योगिकी (आई॰टी॰) का उपयोग –

(i) विभाग द्वारा सभी योजनाओं में आवेदन से लेकर अनुदान भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। इसी प्रकार निवेश से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाईन निष्पादन की व्यवस्था विकसित की जा रही है। साथ ही चीनी मिलों के अतिरिक्त गैर चीनी मिल क्षेत्रों में भी गन्ना फसल सर्वे किया जा रहा है। किसानों को गन्ना की खेती, कीट व्याधि की जानकारी के लिए सूचना तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। तद्नुसार केन केयर पोर्टल, ईख मित्र, सुमेक, गन्ना सर्वे आदि के संचालन हेतु संबंधित एजेन्सी को राशि के भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) उक्त कार्यो के संचालन हेतु संबंधित एजेन्सी यथा–एन.आई.सी., पटना एवं अन्य चयनित एजेन्सी को उनके द्वारा समर्पित अभिश्रव के आलोक में राशि का भुगतान अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के अनुमोदनोपरान्त मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) उक्त एजेन्सी के द्वारा किये गये कार्यो का अनुश्रवण संबंधित योजना के प्रभारी पदाधिकारी एवं आई.टी. यथा–केन केयर, सुमेक पोर्टल आदि हेतु नामित समन्वयक पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(iv) संबंधित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

3.9 गन्ना उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति एवं अन्य संबंधित तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन एवं आकस्मिकता व्यय –

(i) विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं/कार्यकलापों, जागरूकता, गन्ना खेती में नवीनतम तकनीकों की जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय लीफलेट/बुकलेट/गन्ना डायरी–2027/गन्ना कैलेण्डर–2027/मिठास/फलैक्सी एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों का प्रकाशन एवं मुद्रण तथा आवश्यकतानुसार फिल्म निर्माण इस मद में स्वीकृत राशि से कराया जायेगा।

(ii) उपरोक्त सामग्रियों का प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के अनुमोदनोपरान्त कराया जाएगा।

(iii) प्रकाशन हेतु सामग्रियों का आलेख संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार द्वारा विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अवाश्यकतानुरूप उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर मुद्रित सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता मद में स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(vi) मुख्यालय स्तर पर आकस्मिकता मद में स्वीकृत राशि का व्यय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(vii) संबंधित एजेन्सी को राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

4. पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व–

4.1 ईख प्रसार पदाधिकारी/जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस.

(i) कृषक प्रशिक्षण का किसानों के बीच प्रचार–प्रसार कर ससमय आयोजन हेतु स्थल चयन, तैयारियाँ, उपस्थिति पंजी का संधारण करना, पुराने गन्ना किसानों को गन्ना खेती की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना तथा नये किसानों को गन्ना खेती हेतु प्रोत्साहित करना।

(ii) एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु प्रगतिशील गन्ना कृषकों के चयन में सहयोग करना।

(iii) नुक्कड़ नाटक एवं प्रचार वाहन के परिचालन हेतु सभी आवश्यक कार्यो में योगदान देना।

(iv) उत्कृष्ट गन्ना किसान सम्मान योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कर योग्य कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना, ससमय भौतिक सत्यापन, फसल कटनी आदि का निष्पादन ससमय करना।

(ii) विभिन्न मेलों के सफल आयोजन संबंधी सभी कार्यो में सहभागिता सुनिश्चित करना।

(iii) गन्ना संगोष्ठी/कार्यशाला में किसानों की सहभागिता एवं आयोजन हेतु सभी कार्यो का निष्पादन ससमय करना।

4.2 सहायक निदेशक, ईख विकास

(i) योजना का अनुदेश के अनुरूप ससमय कार्यान्वयन कराना।

(ii) योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप ससमय कृषक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट का आयोजन, प्रचार वाहन का परिचालन, प्रशिक्षणार्थियों का चयन एवं संबंधित एजेन्सी को राशि भुगतान संबंधी कार्य का निष्पादन।

(iii) कृषक प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट हेतु संबंधित संस्थान/के.वी.के./वैज्ञानिकों से ससमय समन्वय करना,

(iv) अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को आवेदन के निस्तारण हेतु लक्ष्य आवंटित करना एवं उनके कार्यो तथा लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।

(v) नुक्कड़ नाटक के आयोजन एवं प्रचार वाहन के परिचालन हेतु स्थल चयन एवं दिवसवार विस्तृत रूट चार्ट तैयार करने के साथ पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना,

(vi) योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या का ससमय निराकरण करना/कराना।

(v) उत्कृष्ट गन्ना किसान सम्मान योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार कराना।

(vii) योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।

(viii) आवेदन की स्वीकृति एवं फसल कटनी हेतु तिथि का निर्धारण तथा कटनी कार्य का ससमय निष्पादन करना।

(ix) योजनांतर्गत सभी अवयवों का ससमय कार्यान्वयन कराना एवं संबंधित को राशि का भुगतान करना।

4.4 उप निदेशक, ईख विकास

(i) योजना के प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराना।

(ii) योजना के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

(iii) उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा पदाधिकारियों के एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विभिन्न गन्ना संस्थानों से समन्वय कर प्रशिक्षण हेतु कैलेण्डर प्राप्त करने के साथ सभी आवश्यक कार्यो को सम्पन्न कराना।

4.5 संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य)

(i) मुख्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु संयुक्त निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी तथा इस योजना के प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य) उप नोडल पदाधिकारी होगें।

(ii) योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

(iii) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

(iv) केन केयर पोर्टल पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण करना एवं आने वाले समस्याओं का एन.आई.सी. से समन्वय कर ससमय निराकरण कराना।

(v) योजना के प्रगति से ईखायुक्त, बिहार एवं सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को अवगत कराना।

(vi) योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

4.6 ईखायुक्त

(i) मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ii) योजना के कार्यान्वयन हेतु विहित प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में यथासमय निदेश दिया जायेगा।

ईखायुक्त, बिहार।

प्रपत्र–1

कृषक प्रशिक्षण आयोजन हेतु माहवार कैलेण्डर

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	सितम्बर, 2026	अक्टूबर, 2026	नवम्बर, 2026	दिसम्बर, 2026	जनवरी, 2027	फरवरी, 2026	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	20	17	17	16	20	10	**100**
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	20	17	17	16	20	10	**100**
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	7	7	6	5	5	5	**35**
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	20	17	17	16	20	10	**100**
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	10	10	10	10	10	5	**55**
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	10	10	10	5	10	5	**50**
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	4	4	2	2	3	0	**15**
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	8	8	4	4	6	0	**30**
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	4	6	4	2	4	0	**20**
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	15	15	15	10	10	0	**65**
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	2	2	2	2	2	0	**10**
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	4	4	4	4	4	0	**20**
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	2	2	2	2	2	0	**10**
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	2	2	2	2	2	0	**10**
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	4	4	2	2	3	0	**15**
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	4	4	2	2	3	0	**15**
योग–		**136**	**129**	**116**	**100**	**124**	**45**	**650**

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–2

कृषक प्रशिक्षण – उपस्थिति पंजी

प्रशिक्षण स्थल :– ..... दिनांक :– ..... समय :–.....

जिला :– ..... प्रखंड :– ..... पंचायत/ग्राम :– .....

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/पंचायत	मोबाईल नं0	गन्ना आई0 डी0	हस्ताक्षर

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026 –281 ई0/ई. फ. पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कुल 800.00 लाख रू0 (आठ करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 800.00 लाख रू0 (आठ करोड़ रूपये) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत अवयवों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है। योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास/मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधिकृत होंगे। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें।

3. संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास/मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न **परिशिष्ट–2** के रूप में श्रेणीवार संबंधित बजट शीर्ष एवं विषय शीर्ष से भौतिक एवं वित्तीय आकार की विवरणी के अनुरूप करेगें।

4. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल 800.00 लाख रू0 (आठ करोड़ रूपये) वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्षो से श्रेणीवार विकलनीय होगा–

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	170.05
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	255.85
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	124.05
		26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	49.62
		13 01 कार्यालय व्यय	99.24
	योग (1) –		698.81
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45– उपशीर्ष– 0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या– 45– 2401007890108	20 03 प्रशिक्षण व्यय	41.60
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	24.00
		26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	9.60
		13 01 कार्यालय व्यय	19.20
	योग (2) –		94.40

30/7/2026

3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना– मांग संख्या–45–उपशीर्ष– 0129–ईख विकास विपत्र कोड संख्या– 45–2401007960129	20 03 प्रशिक्षण व्यय	2.63
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	1.82
		26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	0.78
		13 01 कार्यालय व्यय	1.56
	योग (3) –		6.79
	कुल योग (1 + 2 + 3) –		800.00

5. प्रशासी विभाग आवश्यकतानुसार वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन कर सकेगा।
6. इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि0)2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. विषय शीर्षो में कर्णांकित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।
9. उक्त योजना का व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
10. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–19.06.2026 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या सं0–343/वि॰ दिनांक–09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक–15.07.2026 को प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास–यो0–239/2026 के पृष्ठ सं0–17/टि0 पर दिनांक–29.07.2026 को प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–239/2026 के पृष्ठ सं0–15/टि0 पर दिनांक–24.07.2026 को प्राप्त है।
13. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026–281 को/ई॰ का॰ /पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गयाजी/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026–281 ख0/ई.का. /पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026–281/ख0/ई.का. /पटना, दिनांक– 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2026–27 का स्वीकृत कार्य योजना

क्र0 सं0	कार्य अवयव	दर	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	कृषक प्रशिक्षण	15,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण	संख्या	650	97.50
2	एक्सपोजर विजिट –सह– प्रशिक्षण			–	111.58
3	गन्ना कृषि एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला			15	149.87
4	नुक्कड़ नाटक का आयोजन	7000 रू0 प्रति नाटक	संख्या	240	16.85
5	गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन	3.40 लाख रू0 प्रति वाहन (30 दिनों के लिए)	संख्या	25	85.00
6	उत्कृष्ट गन्ना उत्पादक किसान सम्मान राशि	प्रथम–25,000, द्वितीय–20,000 तृतीय–10,000		60	11.00
7	बिहार दिवस/सोनपुर मेला/मेला/झांकी			4	63.15
8	सूचना प्रौद्योगिकी (आई॰टी॰) का उपयोग (केन केयर पोर्टल, ईख मित्र, सुमेक, गन्ना सर्वे आदि)			–	85.05
9	गन्ना उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति एवं अन्य संबंधित तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन एवं आकस्मिकता व्यय			–	180.00
	कुल योग–				**800.00**

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष – 20 03 प्रशिक्षण व्यय																			
		कृषक प्रशिक्षण @ 15,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण								एक्सपोजर विजिट –सह– प्रशिक्षण				नुक्कड़ नाटक का आयोजन @ 7000 रू0 प्रति नाटक							
		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
		भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	83	12.45000	15	2.25000	2	0.30000	100	15.00000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	83	12.45000	16	2.40000	1	0.15000	100	15.00000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	30	4.50000	5	0.75000	0	0.00000	35	5.25000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	84	12.60000	16	2.40000	0	0.00000	100	15.00000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	18	1.26000	0	0.00000	0	0.00000	18	1.26000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	45	6.75000	10	1.50000	0	0.00000	55	8.25000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	42	6.30000	8	1.20000	0	0.00000	50	7.50000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	13	1.95000	2	0.30000	0	0.00000	15	2.25000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	18	1.26000	0	0.00000	0	0.00000	18	1.26000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	26	3.90000	4	0.60000	0	0.00000	30	4.50000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	15	1.05000	0	0.00000	0	0.00000	15	1.05000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	20	3.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	3.00000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	51	7.65000	14	2.10000	0	0.00000	65	9.75000	4.96200	0.96000	0.07800	6.00000	30	2.15000	0	0.00000	0	0.00000	30	2.15000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	10	1.50000	0	0.00000	0	0.00000	10	1.50000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	20	3.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	3.00000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	10	1.50000	0	0.00000	0	0.00000	10	1.50000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	10	1.50000	0	0.00000	0	0.00000	10	1.50000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	14	2.10000	1	0.15000	0	0.00000	15	2.25000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	15	2.25000	0	0.00000	0	0.00000	15	2.25000	3.30800	0.64000	0.05200	4.00000	12	0.84000	0	0.00000	0	0.00000	12	0.84000
17	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	26.18700	5.04600	0.34700	31.58000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
18	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
19	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
20	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
योग–		556	83.40000	91	13.65000	3	0.45000	650	97.50000	92.34700	17.84600	1.38700	111.58000	240	16.85000	0	0.00000	0	0.00000	240	16.85000

30/01/2026

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष – 20 03 प्रशिक्षण व्यय																विषय शीर्ष – 20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला							
		उत्कृष्ट गन्ना उत्पादक किसान सम्मान राशि (प्रथम–25,000, द्वितीय–20,000, तृतीय–10,000)								बिहार दिवस/सोनपुर मेला/मेला/झांकी								गन्ना कृषि एवं निवेश प्रोत्साहन कार्यशाला							
		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
		भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	9	1.65000	0	0.00000	0	0.00000	9	1.65000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	6	1.10000	0	0.00000	0	0.00000	6	1.10000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	6	1.10000	0	0.00000	0	0.00000	6	1.10000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	1	16.54000	1	3.20000	1	0.26000	1	20.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	5.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	5.00000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	3	0.55000	0	0.00000	0	0.00000	3	0.55000	1	1.80600	0	0.34400	0	0.00000	1	2.15000	1	2.50000	0	0.00000	0	0.00000	1	2.50000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	33.90700	0	6.56000	0	0.53300	2	41.00000	5	99.05000	0	24.00000	0	1.82000	5	124.87000
योग–		60	11.00000	0	0.00000	0	0.00000	60	11.00000	4	52.25300	1	10.10400	1	0.79300	4	63.15000	15	124.05000	0	24.00000	0	1.82000	15	149.87000

परिशिष्ट–2 (पृ0–3)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष – 33 01 सब्सिडी			विषय शीर्ष – 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन				विषय शीर्ष – 13 01 कार्यालय व्यय				कुल योग			
		गन्ना तकनीकी प्रचार–प्रसार वाहन @ 3.40 लाख रू0 प्रति वाहन (30 दिनों के लिए)		सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का उपयोग (केन केयर पोर्टल, ईख मित्र, सुमेक, गन्ना सर्वे आदि)	गन्ना उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति एवं अन्य संबंधित तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन				आकस्मिकता व्यय							
		सामान्य		सामान्य	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
		भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	31.91200	3.21000	0.37800	35.50000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	31.36200	3.36000	0.22800	34.95000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	22.86200	1.71000	0.07800	24.65000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	31.72200	3.36000	0.07800	35.16000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	25.11200	2.46000	0.07800	27.65000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.10000	0.00000	0.00000	6.10000	28.26200	2.16000	0.07800	30.50000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	18.36800	0.94000	0.05200	19.36000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	0.00000	0.00000	2.50000	36.30200	4.76000	0.33800	41.40000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	13.09800	0.64000	0.05200	13.79000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	2	6.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.00000	0.00000	0.00000	5.00000	32.11200	3.06000	0.07800	35.25000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	11.59800	0.64000	0.05200	12.29000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	13.09800	0.64000	0.05200	13.79000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	11.59800	0.64000	0.05200	12.29000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	11.59800	0.64000	0.05200	12.29000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	12.19800	0.79000	0.05200	13.04000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1	3.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	0.00000	0.00000	2.00000	16.65400	0.98400	0.05200	17.69000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	27.18700	5.04600	0.34700	32.58000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000
24	निकाशी एवं व्यवन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	0	0.00000	85.05000	49.62000	9.60000	0.78000	60.00000	54.14000	19.20000	1.56000	74.90000	321.76700	59.36000	4.69300	385.82000
योग–		25	85.00000	85.05000	49.62000	9.60000	0.78000	60.00000	99.24000	19.20000	1.56000	120.00000	698.81000	94.40000	6.79000	800.00000

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	31.91200	3.21000	0.37800	**35.50000**	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	31.36200	3.36000	0.22800	**34.95000**	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	22.86200	1.71000	0.07800	**24.65000**	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	31.72200	3.36000	0.07800	**35.16000**	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	25.11200	2.46000	0.07800	**27.65000**	कोषागार, सीतामढ़ी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	28.26200	2.16000	0.07800	**30.50000**	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	18.36800	0.94000	0.05200	**19.36000**	कोषागार, मुजफ्फरपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	36.30200	4.76000	0.33800	**41.40000**	कोषागार, सिवान
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	13.09800	0.64000	0.05200	**13.79000**	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	32.11200	3.06000	0.07800	**35.25000**	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	11.59800	0.64000	0.05200	**12.29000**	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	13.09800	0.64000	0.05200	**13.79000**	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	11.59800	0.64000	0.05200	**12.29000**	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	11.59800	0.64000	0.05200	**12.29000**	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	12.19800	0.79000	0.05200	**13.04000**	कोषागार, गयाजी
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	16.65400	0.98400	0.05200	**17.69000**	कोषागार, पटना
17	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	27.18700	5.04600	0.34700	**32.58000**	कोषागार, पटना
18	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	1.00000	0.00000	0.00000	**1.00000**	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
19	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	1.00000	0.00000	0.00000	**1.00000**	कोषागार, समस्तीपुर
20	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	321.76700	59.36000	4.69300	**385.82000**	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग–	**698.81000**	**94.40000**	**6.79000**	**800.00000**	

ईखायुर्वस, बिहार।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/विकास–यो0–239/2026– 1713/द्यो0वि0 पटना, दिनांक– 15 सितम्बर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग,
सभी उप निदेशक, ईख विकास,
सभी सहायक निदेशक, ईख विकास।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, जिलास्तरीय कार्यशाला एवं एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत व्यय की विवरणी के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग– विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–281 स्वी०/सी.सी. दिनांक–30.07.2026 एवं आवंटनादेश सं0–06 बजट दिनांक–11.08.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत " कृषक प्रशिक्षण ", " जिलास्तरीय कार्यशाला " एवं " एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण " हेतु स्वीकृत व्यय की विवरणी **परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 (क, ख)** के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्तः

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026– 1713/द्यो0वि0/पटना, दिनांक– 15 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गयाजी/दरभंगा /भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–239/2026– 1713/द्यो0वि0 /पटना, दिनांक– 15 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

J.D.A.C.C-4 : 1340

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- 1

गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

कृषक प्रशिक्षण

40 कृषक प्रशिक्षण पर व्यय का विवरण-

क्र0सं0	अवयव	दर (रू0 में)	कुल राशि (रू0 में)	अभ्युक्ति
1.	फोल्डर (पेन, पैड, तकनीकी आलेख)	75.00	3,000.00	40 से अधिक किसान के भाग लेने की स्थिति में कंडिका– 1, 2 एवं 5 में अंकित राशि में फेरबदल कर व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2.	अल्पाहार	80.00	3,200.00	
3.	ध्वनिविदारक यंत्र इत्यादि	–	1300.00	
4.	दो विशेषज्ञ का मानदेय	1000.00	2,000.00	
5.	आकस्मिकता (बैनर, लीफलेट, फोटोग्राफी, भाड़े का वाहन, क्विज विजेता को पुरस्कार इत्यादि)	–	5,500.00	
	योग–		15,000.00	

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- 2

गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

" जिलास्तरीय कार्यशाला "

Expenditure Estimate for One Day District Level Workshop				
Sl No	**Item**	**Estimated Cost per unit (in Rs.)**	**No. of Participant**	**Total Estimated Cost (in Rs.)**
1	Venue Charge (Including all basic arrangement)	35000	–	35000
2	Stage & Decoration	15000	–	15000
3	Flex & Banner	15000	–	15000
4	Farmers Transportation (To & Fro)	200	100	20000
5	Jute Bag	200	150	30000
6	Pen & Pad	30	150	4500
7	Dias Management	2000	10	20000
8	Exhibition Stall	5000	5	25000
9	Lunch, Tea, Biscuits & Water Bottle	300	200	60000
10	Scientists Honorarium	1500	5	7500
11	Scientists TA/DA	–	–	10000
12	Quiz Competition	500	4	2000
13	Contingencies	–	–	6000
	Total			**250000**

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- 3 'क'

गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

" एक्सपोजर विजिट - सह - प्रशिक्षण "

विभिन्न गन्ना अनुसंधान संस्थानों में कृषकों के 05 दिवसीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु एक बैच में न्यूनतम 20 कृषक यानि प्रति बैच (20 कृषक) एवं दो प्रतिनिधियों पर व्यय की अनुमानित सीमा निम्नवत् है–

क्र0 सं0	व्यय का विवरण	करनाल (20 कृषकों एवं 2 प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)	लखनऊ (20 कृषकों एवं 2 प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)	शाहजहाँपुर (20 कृषकों एवं 2 प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)	पूसा (20 कृषकों एवं 2 प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)	अभ्युक्ति
1	संस्थानीक (प्रशिक्षण एवं अन्य) व्यय	1,75,000	1,61,680	1,20,000	1,20,000	लखनऊ प्रशिक्षण खर्च–10,8,480 आवासन एवं भोजन (20 कृषक) – 42,000 आवासन एवं भोजन 2 प्रतिनिधि– 11,200
2	भोजन आदि पर व्यय	22,000 (1000 प्रति प्रतिभागी)	16,500 (750 प्रति प्रतिभागी)	16,500 (750 प्रति प्रतिभागी)	11,000 (500 प्रति प्रतिभागी)	यात्रा के समय
3	रेल यात्रा पर व्यय	33,000 (रेल यात्रा @ 1500 प्रति प्रतिभागी)	22,000 (रेल यात्रा @ 1,000 प्रति प्रतिभागी)	22,000 (रेल यात्रा @ 1,000 प्रति प्रतिभागी)	8,800 (रेल यात्रा @ 400 प्रति प्रतिभागी)	
4	बैनर, झण्डा, माला, पुष्प गुच्छ इत्यादि@ 1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	पहचान–पत्र @ 50 रू/प्रति किसान (पाँच दिवसीय भ्रमण के लिए मान्य)	1,100	1,100	1,100	1,100	
6	Agri Input विवरण हेतु (seedling/ Tricocard/Vermi Compost etc.) @ 250 रू/प्रति प्रतिभागी	5,500	5,500	5,500	5,500	
7	अन्य विविध खर्च	5,000	5,000	5,000	5,000	
	कुल अनुमानित खर्च	**2,42,600**	**2,12,780**	**1,71,100**	**1,52,400**	

नोट–बैच में कृषकों की संख्या 20 से अधिक होने पर व्यय की अनुमानित सीमा समानुपातिक होगी।

ईखायुक्त, बिहोर।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट- 3 'ख'

गन्ना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (2026-27)

" एक्सपोजर विजिट - सह - प्रशिक्षण "

राज्य के अन्दर के उन्नत केन्द्रों में कृषक का एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण एक/दो दिवसीय होगा। एक बैच में न्यूनतम 20 कृषक एवं अधिकतम 02 प्रतिनिधि हेतु प्रति कृषक/बैच व्यय की अनुमानित सीमा निम्नवत् है–

क्र0 सं0	व्यय का विवरण	एक दिवसीय (20 कृषकों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)	दो दिवसीय (20 कृषकों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, राशि रू0 में)
1	प्रशिक्षण सामग्री @ 75/प्रति प्रतिभागी	1,650	1,650
2	चाय–नाश्ता एवं अन्य खर्च @ 80/प्रति प्रतिभागी (एक पहर का)	1760 (1 पहर के लिए)	5,280 (3 पहर के लिए)
3	प्रतिभागी किसानों के लिए यातायात/भ्रमण हेतु वाहन @ 35 रू० प्रति कि0मी० (एवं टॉल–टैक्स, ड्राईवर आदि खर्च के लिए अतिरिक्त 2,000)	9,000 (200 कि०मी० के लिए अनुमानित	9,000 (200 कि०मी० के लिए अनुमानित
4	वैज्ञानिक/विशेषज्ञ को प्रशिक्षण हेतु मानदेय (01) @ 1000	1,000	2,000
5	बैनर, फोटो, प्रमाण–पत्र @ 1,000	1,000	1,000
6	भोजन @ 250 रू/प्रति प्रतिभागी प्रति पहर	5,500 (1 पहर के लिए)	16,500 (3 पहर के लिए)
7	आवासन @ 500 रू/प्रति प्रतिभागी (दो दिवसीय भ्रमण के लिए मान्य)	—	11,000
8	पहचान–पत्र @ 50 रू/प्रति किसान (दो दिवसीय भ्रमण के लिए मान्य)	1,100	1,100
9	Agri Input विवरण हेतु (seedling/Tricocard/ VermiCompost etc.) @ 150 रू/प्रति प्रतिभागी	3,300	3,300
10	अन्य विविध खर्च @1000 प्रति दिन	1,000	2,000
	कुल अनुमानित खर्च	25,310	52,830

नोट– बैच में कृषकों की संख्या 20 से अधिक होने पर व्यय की अधिकतम सीमा समानुपातिक होगी।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner